भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 802
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन सुरक्षा

802. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया की उड़ान संख्या 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्ष क्या हैं, जिसमें 270 से अधिक लोग हताहत हुए थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट की गई विमानन सुरक्षा घटनाओं की संख्या और उनके कारण क्या हैं;

(ग) अहमदाबाद दुर्घटना जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष रूप से विमानों का रखरखाव, आपात स्थिति में पर्याप्त पायलट प्रशिक्षण, इंजन विफलता और ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर पर साइबर सुरक्षा खतरे जैसे विमानन सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ बनाने के क्या उपाय हैं;

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने में नागर विमानन महानिदेशालय की भूमिका क्या है; और

(ङ) विमान में मौजूद पीड़ितों सहित जमीन पर मौजूद पीड़ितों के परिवारों को प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ) : दिनांक 12.06.2025 को अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया की उड़ान (एआई-171) दुर्घटना की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 58 घटनाएँ दर्ज की गईं थी। ये घटनाएँ खराब मौसम, तकनीकी खराबी, पक्षियों के टकराने, आदि जैसे विभिन्न कारणों से हो सकती हैं। घटनाओं का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

24 – 2023
17 – 2024
17 – 2025
(जून 2025 तक)

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास विमानों के सुरक्षित परिचालन और उनके अनुरक्षण के लिए वृहत और निर्धारित नागर विमानन विनियम हैं। इन विनियमों को निरंतर अद्यतित किया जाता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) / यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास निगरानी और ऑडिट के लिए निर्धारित फ्रेमवर्क है, अर्थात संगठन/विमान की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की निरंतर निगरानी सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित और आवधिक ऑडिट, औचक जांच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। यदि इनमें कोई उल्लंघन होता है, तो डीजीसीए अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

भारत ने विमानवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 का अनुसमर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए यात्री की मृत्यु, सामान या कार्गो के विलंब, क्षति या हानि के मामले में मुआवजे के लिए वाहकों की देनदारियों का प्रावधान है।

एअर इंडिया ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 18.07.2025 तक 128 मृतकों के निकटतम रिश्तेदार (एन.ओ.के.) को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा (अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा) जारी कर दिया है। शेष मृतकों के लिए, अंतरिम मुआवजे का भुगतान, निकटतम रिश्तेदार द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के विभिन्न चरणों में है। अंतरिम मुआवजे के संवितरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

एअर इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि टाटा सन्स द्वारा अपेक्षित ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 18.07.2025 को पूरा हो गया है और एयरलाइन मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 1 करोड़ रुपये की स्वैच्छिक अनुग्रह राशि के संवितरण को सक्षम करने हेतु अपेक्षित अभिलेखन और सत्यापन औपचारिकताओं को आरंभ करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एअर इंडिया मृतकों और घायल व्यक्तियों के परिवारों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है, जैसे यात्रा व्यवस्था, आवास, चिकित्सा व्यय, घायल हुए दैनिक वेतन भोगियों को तत्काल नकद भुगतान, आदि।

******